



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpeefdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-४८ए०/२०१५-६४। दिनांक : 13.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, छनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/रामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत भू संरक्षण एवं वृक्षारोपण, शीध बहनेवाले पौधों का वृक्षारोपण एवं अवकृष्ण वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल ₹० 43.296 लाख (तीनतालीस लाख उन्तीस हजार छः सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-**

वन विभागीय स्थीकृत्यादेश संख्या 04/यो०बजट-७०/२०१५-५५/स्थी० व० ५० ‘देनांक-२०.०१.२०१६ एवं स्थीकृत्यादेश संख्या 04/यो०बजट-७०/२०१५-६१/स्थी० व० ५० देनांक-०७.०३.२०१७ तथा वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०बजट-७०/२०१५-३९/आ० व००५० दिनांक १२.०४.२०१७।

**महाशय,**

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01 वानिकी, लधु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-५८-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल ₹० 43.296 लाख (तीनतालीस लाख उन्तीस हजार छः सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	36.695
अपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	6.601
कुल :		43.296

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1(क) से 1(ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को सरामय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क) से 2(ग) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर दृष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी० 19S240601789580103 तथा पी० 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय आरखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमंडलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय यास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे रत्नोत्तम से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का भासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का ब्रैमासिक Reconciliation रासमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असमबद्ध प्रमणडल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा रामय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते / डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची,

ज्ञापांक-- 01 / योबजट-48ए0 / 2015— 641 दिनांक— 13.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानामपुर एवं पलामू, हजारीबाग / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर / प्रादेशिक अंचल, बोकारो / प्रादेशिक अंचल, गढ़वा / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट-48ए0 / 2015— 641 दिनांक— 13.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर / कोषागार पदाधिकारी, धनबाद / कोषागार पदाधिकारी, बोकारो / कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा / कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग / कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक 01 / योबजट-48ए0 / 2015— 641 दिनांक— 13.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची / उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

अनु०-१ (क)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			10152.38	2182.40	12334.78
i	ii	iii	iv	v	vi
1	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	60	6.091	1.309	7.400
2	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	30	3.046	0.655	3.701
कुल योग :-		90	9.137	1.964	11.101

अनु०-१ (ख)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			13370.98	2402.50	15773.48
i	ii	iii	iv	v	vi
1	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	30	4.011	0.721	4.732
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	60	8.023	1.442	9.465
3	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	35	4.679	0.841	5.520
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	40	5.348	0.961	6.309
कुल योग :-		165	22.061	3.965	26.026

अनु०-१ (ग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			7853.38	961.00	8814.38
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	40	3.141	0.384	3.525
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	30	2.356	0.288	2.644
कुल योग :-		70	5.497	0.672	6.169
सकल योग :-		325	36.695	6.601	43.296

अपर प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास  
झारखण्ड, राँची।

### वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठले : 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर X 2 मीटर)

मजदूरी दर 229.90

प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>(A) वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)</b>							
1	एक कोठनी एवं निकौनी	हेठले	23.00	5287.70	0.00	5287.70	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रल्लाचन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेठले तक)	हेठले	12.16	2795.58	0.00	2795.58	
	पौधों की सुरक्षा (30 हेठले से अधिक)						
4	गड्ढ़ी चिरान की मरम्मत	बेन	1.00	229.90	0.00	229.90	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेठले	3.00	689.70	290.00	979.70	
6	रिग्नलिंग एवं प्रुनिंग	हेठले	5.00	1149.50	0.00	1149.50	
योग :-			44.16	10152.38	2182.40	12334.78	

अपने प्रधाने मरम्मत वन संरक्षक विकास।  
जिल्हा उद्यान और वन विभाग, राँची

## वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण शीघ्र बढ़ने वाले / तसर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 2500 पौधे

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी : 2 मीटर x 2 मीटर

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
<b>(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पोषण कार्य (सूतीय वर्ष)</b>							
1	३५ कोडनी-निधनी	हेक्टेक्टर	35.00	8046.50	0.00	8046.50	
2	सामग्री (थीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डीएफपी०/उरिया, जैविक किटनशाक आदि)	हेक्टेक्टर	0.00	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की रुक्षा						
3.1	30 हेक्टेक्टर	हेक्टेक्टर	12.16	2795.58		2795.58	
3.2	30 हेक्टेक्टर से 60 हेक्टेक्टर						
4	धेरन मरम्मति	चेन	6.00	1379.40	0.00	1379.40	
5	मृत पौधों का प्रतिरक्षण	हेक्टेक्टर	5.00	1149.50	440.00	1589.50	
योग :-			58.16	13370.98	2402.50	15773.48	

अपराधिकारी मुख्य उपसारक, विकास.

कालारमण्ड, रोही

कालारमण्ड, रोही

### वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर


योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1000 पौधे

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुराग)

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाइ	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
<b>(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पोषण कर्य (तृतीय वर्ष)</b>							
1	एक कोडगी निकोगी	हेठो	14.00	3218.60	0.00	3218.60	
3	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, ₹३०५०पैसे / उरिया, औपेक किट-गासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	785.00	785.00	
4	नैन्हों की सुरक्षा			0.00			
4.1	30 हेठो तक	हेठो	12.16	2795.58		2795.58	
4.2	30 हेठो से 60 हेठो तक						
5	घेरान मरम्मति	हेठो	6.00	1379.40	0.00	1379.40	
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेठो	2.00	459.80	176.00	635.80	
	योग :		34.16	7853.38	961.00	8814.38	



अपर प्रधान मुख्य वर्ग संस्कार, विकास,  
लैफ स्ट्रेट, रोडी



आवंटन आदेश

गारखड सरकार

वर्ष २०१७-१८ में विवरणीकृत इसाई राज बहुमी द्वारा सम्पन्न अंकित रिपोर्ट के सभी अंकित रिपोर्ट को जारी है।

पत्र संख्या - 01/yb-48a/2015/641

दिनांक -

13-May-2

क्रमांक	विषय कोड	पंक्ती संख्या	निकासी एवं अवयन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - जानिंदा नथा बन्द शासी 01 - जानिंदा 789 - अनुसूचित जानिंदा के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिकारित यन्त्र मुक्ति पर वृक्षांशुगण एवं मू-मरणका 01 - बनत ग्रां भन्न 03 - मरणका	31127	DGRFOR0088 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV DFO	609,100.00
<hr/>				
State Scheme : Central Scheme :				
2	S 19 240601789580103 2406 - जानिंदा नथा बन्द शासी 01 - जानिंदा 780 - अनुसूचित जानिंदा के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिकारित यन्त्र मुक्ति पर वृक्षांशुगण एवं मू-मरणका 01 - बनत ग्रां भन्न 03 - मरणका	31129	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	304,600.00
<hr/>				
State Scheme : Central Scheme :				
3	S 19 240601789580103 2406 - जानिंदा नथा बन्द शासी 01 - जानिंदा 789 - अनुसूचित जानिंदा के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिकारित यन्त्र मुक्ति पर वृक्षांशुगण एवं मू-मरणका 01 - बनत ग्रां भन्न	31132	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	401,100.00

३४

कुमिक योग

सामने आया वार्ता लेखक का नाम

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

Run Date: 11/3/2017

क्रमांक	विषय कोड	एकलसं नं	निकासी एवं व्यवहार पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - बांधिका ज्ञान प्राप्ति 01 - ज्ञानिकी 789 - अनुग्रहित ज्ञानियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिग्रनित वन सूचि पर वृक्षारोपण एवं सूखाकाश 01 - वृक्षारोपण 03 - समर्पण	31134	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	802,300.00
<hr/>				
<hr/>				
5	S 19 240601789580103 2406 - बांधिका ज्ञान प्राप्ति 01 - ज्ञानिकी 789 - अनुदान वर्तनी के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिग्रनित वन सूचि पर वृक्षारोपण एवं सूखाकाश 01 - वृक्षारोपण 03 - समर्पण	31135	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV., GARHW	467,900.00
<hr/>				
6	S 19 240601789580103 2406 - बांधिका ज्ञान प्राप्ति 01 - ज्ञानिकी 789 - अनुग्रहित ज्ञानियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिग्रनित वन सूचि पर वृक्षारोपण एवं सूखाकाश 01 - वृक्षारोपण 03 - समर्पण	31137	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S.H. DIV., HAZARIBAG	848,900.00
<hr/>				
<hr/>				
योग:				2,119,100.00
क्रमिक योग:				3,433,900.00

Shri Bhupam Singh

ACCDPBAFBHWWKUHRKHAND

क्रमांक	विपरी कोड	एकाउट नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580103 2406 - राजनीति नथा बन्ध पार्टी 01 - चालिकी 789 - अनुसूचित जातेभेट के लिए विशेष पालक पोर्टल 56 - वांशधर्मित वन मूर्ति पा बुझाराम एवं झुम्बाखण 03 - द्रव्याभिक्षम 23 - ग्रामीण	31138	KDMHORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	235,600.00
8	S 19 240601789580323 2406 - राजनीति नथा बन्ध पार्टी 01 - चालिकी 789 - अनुसूचित जातेभेट के लिए विशेष पालक पोर्टल 56 - वांशधर्मित वन मूर्ति पा बुझाराम एवं झुम्बाखण 03 - द्रव्याभिक्षम 23 - ग्रामीण	31140	DGRFOREB8 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	130,900.00
9	S 19 240601789580323 2406 - राजनीति नथा बन्ध पार्टी 01 - चालिकी 789 - अनुसूचित जातेभेट के लिए विशेष पालक पोर्टल 56 - वांशधर्मित वन मूर्ति पा बुझाराम एवं झुम्बाखण 03 - द्रव्याभिक्षम 23 - ग्रामीण	31142	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	65,500.00
<hr/>				
गोगः				432,000.00
क्रमिक गोगः	कामे पार्टी नथा बाल लेपन लजार ले			3,865,900.00
<hr/>				

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकाशी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580323 2406 - गरिमा वा कन प्राप्ति 01 - बालानी 789 - अनुमतिन जानियों के लिए विशेष उद्देश वैज्ञानिक 58 - अधिकारित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यवस्था 23 - ग्रामीण वासी	31143	BKRFOR001 P.R. NAIDU DFO, BOKARO	72,100.00 हाथी बदलार हजार रुप. स
<hr/>				
State Scheme : Central Scheme :				
11	S 19 240601789580323 2406 - बालानी वन्य वन्य राष्ट्री 01 - गरिमी 789 - अनुमतिन वैज्ञानिक विशेष उद्देश वैज्ञानिक 58 - अधिकारित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यवस्था 23 - ग्रामीण वासी	31145	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARFW	144,200.00 राष्य एक भाष्य बालानी वन्य वन्य राष्ट्री
<hr/>				
State Scheme : Central Scheme :				
12	S 19 240601789580323 2406 - बालानी वन्य वन्य प्राप्ति 01 - गरिमी 789 - अनुमतिन जानियों के लिए विशेष उद्देश वैज्ञानिक 58 - अधिकारित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यवस्था 23 - ग्रामीण वासी	31147	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	84,100.00 राष्य चोगमी हजार रुप. स
<hr/>				
State Scheme : Central Scheme :				
<hr/>				
संग.				300,400.00
कमिश योग	400वी इकानालोग जाल यात्रा हजार तीन रु.			4,166,300.00

GURNAK SINGH

ADDI PANCHNAMI JAH

PANCHNAMI JAH

क्रमांक	विपरी कोड	एकसंस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789680323 2406 - बाह्यिक नया वन्य प्राणी 01 - चालनेमो 789 - अनुप्रवित जानियां के लिए विभिन्न घटक योजना 68 - प्रभिमिति वन भूमि एवं दुर्खारीपण एवं भू-संवर्धन 03 - वधागानिक न्यय 23 - आपूर्ति एवं शानर्थ	31149	HZBFWL007  SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV . HAZARIBAG	134,500.00  रुपये एक लाख बीसीसा सजार चाँच ग्रे

## Sliding Schedules

Central Scheme

14	S 19 240601789580323	31150	KDMFORA02	28,800.00
	2400 - चार्टर्ड एग्जामिनर		RAMESH PRASAD	रमेश प्रसाद हांगड़ 3015 ३३
	31 - कालिकी		KAMAL	
	789 - अन्तर्राष्ट्रीय शासित क. विद्या विभाग यात्रा, मैट्रोना		D.F.O (S.F.) KODERMA	
	58 - अधिकारी वन भूमि पर बुझारीपुर राष्ट्र भू-संरक्षण			
	33 - दरभान चौक जामा			
	23 - आपर्टमेंट गांगत्री			

State Spheres

Gratia Gratias

२५३-

कामिक शोग

દુસરે ગ્રંથાલોમાં જાણ રહીએ છુટાડ હતું

163,300.00

4,329,600.00

• 2010 年度第 1 回定期評議會

RANCH